← Back Archive Move Delete Spam •••

sonika sharma <sonikashiv@yahoo.com>
To: pshrc.chd@gmail.com

Sep 4 at 1:10 AM

दिनांक : 04.09.2017

सेवा में,

**पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग**

SCO NO. 20-21-22, सेक्टर 34-A,

चंडीगढ - 160034

**विषय: आपके विभाग में शिकायत क्र. 5714/10/2017 दर्ज हो जाने की वजह से लुधियाना पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है उसकी जानकारी दिये जाने व जिम्मेदार अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्यवाही किये जाने बाबत|**

**संदर्भ: दर्ज शिकायत क्र. 5714/10/2017 दि. 27.07.2017 पर सुनवाई की तारीख 04.09.2017 से संबंधित|**

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर (पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर पता: 14060 गली न: 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना)

Back Archive Move Delete Spam

मैं चंद्रकला ठाकुर (पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर पता: 14060 गली न: 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना) Whistle Blower मुकेश ठाकुर की माँ हूँ|

मेरे द्वारा दि. 03.07.2017 को शिकायत भेजी गई थी जिसके प्रतिउत्तर में मेरी शिकायत 5714/10/2017 दि. 27.07.2017 दर्ज कर ली गई थी जिसकी जानकारी मुझे भेजी गई थी मगर उस दर्ज शिकायत की प्रतिक्रिया लुधियाना पुलिस द्वारा संवैधानिक ढाँचे की धज्जियाँ उडाते हुये व गुंडागर्दी करते हुये सामने आई और मेरे बेटे Whistle Blower मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को दुबारा गैर-कानूनी रूप से गिरफ्तार (illegal detention) करते हुये झूठी शिकायत पर SP/CIA (लुधियाना) के इंचार्ज जतिंदर कुमार द्वारा बुरी तरह मारपीट करके जेल भेज दिया गया जिसकी शिकायत मेरे व संगठन द्वारा ईमेल व पत्रों द्वारा भेजी गई है|

अभी दि. 19.08.2017 को दर्ज हुई F.I.R. 0343/2017 में मेरे बेटे को किस प्रकार गैर-कानूनी तरीके से उठाया गया व मैंने पत्र द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट, सेशन जज और पुलिस कमिश्नर (लुधियाना) के साथ-साथ डी.जी.पी. को भी जो शिकायते की हैं वह सभी पत्र वेबसाईट की लिंक (http://www.bvbja.com/file/pdf/20170904_Attachments.pdf) पर उपलब्ध है साथ ही ईमेल में संलग्न हैं|

पंजाब पुलिस द्वारा संविधान की हत्या की जा रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं| एक ACP/North सचिन गुप्ता, लुधियाना अपनी ताकत, रूतबे व भ्रष्टाचार का उपयोग करते हुये मेरे Whistle Blower बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित पर F.I.R. पर F.I.R. दर्ज करवा रहा है|

सारे सबूत सामने हैं, खुला मामला है| इस मामले में अगर संवैधानिक नियमों का पालन करके फैसला किया गया तो सभी तकनीकी व उपलब्ध सबूत ACP/North सचिन गुप्ता व उसके अधीनस्थ और सभी जिम्मेदार अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को कम से कम 10-10 वर्ष की सजा तो अवश्य मिलेगी|

← Back Archive Move Delete Spam •••

इन पुलिसकर्मियों व अपराधियों के द्वारा सबूतों को मिटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है| मेरे बेटे व पीड़ित को गैर-कानूनी तरीके से बिना कोई कागजी कार्यवाही किये लगभग 3:45pm के आसपास SP/CIA के ऑफिस में लाकर वहाँ के इंचार्ज जतिन्दर कुमार द्वारा यह कहते हुये मार लगाई गई कि, "तुझे ACP की शिकायत करने का बहुत शौक है, अब अंजाम भुगत" आज 15 दिन हो गये हैं मगर SP/CIA में मारी गई चोट व यातनाओं के घाव ठीक नहीं हुये हैं, यहाँ तक की ऐसा नजर आ रहा है कि, पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद का तो पाँव फ्रेक्चर हो चुका है और Whistle Blower मुकेश ठाकुर का घाव सड़ने की स्थिती में हैं जहाँ कीडे भी पड़ सकते हैं|

दोनों को ही जेल में रखा गया है मगर किसी भी प्रकार का कोई इलाज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है यहाँ तक की कोर्ट में पेश करते समय उनका मैडिकल भी नहीं किया गया था जब जेल भेजा गया तब मैडिकल के लिये ले जाया गया मगर वहाँ डरा-धमकाकर कुछ भी बोलने से रूकवा दिया गया और शायद खुद की मर्जी के अनुसार मैडिको लीगल रिपोर्ट तैयार की होगी अगर तुरंत मामले में हस्तक्षेप करके जाँच नहीं करवाई जायेगी तो हो सकता है कि, लुधियाना के दरिंदे ACP के द्वारा मेरे बेटे व पीड़ित की हत्या भी करवाई जा सकती है|

संवैधानिक नियमों की मैं इज्जत करती हूँ और चाहती हूँ कि, देश के संविधान पर कोई आँच ना आये और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही हो जिससे आम जनता का 'संविधान व कानून व्यवस्था' पर भरोसा कायम रहे|

आशा है, एक माँ के वीर सपूत व देशभक्त Whistle Blower बेटे मुकेश ठाकुर के साथ इंसाफ जरूर किया जायेगा|

पहले भेजे गये सारे शिकायत-पत्र वेबसाईट की लिंक (http://www.bvbja.com/file/pdf/20170904_Attachments.pdf) पर उपलब्ध है साथ ही ईमेल में संलग्न हैं|

Back Archive Move Delete Spam

पहले भेजे गये सारे शिकायत-पत्र वेबसाईट की लिंक (http://www.bvbja.com/file/pdf/20170904_Attachments.pdf) पर उपलब्ध है साथ ही ईमेल में संलग्न हैं|

संविधान व कानून पर भरोसा रखनेवाली,

एक माँ

चंद्रकला ठाकुर

Mob. 79735-71454

*(हस्ताक्षर की हुई Hard Copy रजिस्ट्री के जरिये भिजवाई जा रही है)*

20170904_At....pdf
10.9MB

20170904_R... .pdf
232.9kB